

Regarding alleged killing of an individual in Ayodhya

श्री अवधेश प्रसाद (फैज़ाबाद) : माननीय सभापति जी, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिलकुल ध्वस्त है। वहां बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र जो हमारा विधान सभा क्षेत्र भी रहा है। पाराखानी कुर्मी का पुरवा, थाना ? खन्डासा, मिल्कीपुर की गायत्री देवी, पत्नी श्री हनुमान प्रसाद पासी के साथ 18 मार्च 20025 को एक घटना हुई। वह महिला अपने भूखे बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसी समय थाना खन्डासा की पुलिस और मिल्कीपुर के एसडीएम ने अपने कर्मचारियों के साथ आकर उसके घर को ढहना शुरू किया। उस महिला ने आपत्ति जतायी कि मेरे बच्चे अभी भूखे हैं, उनके लिए मैं खाना बना रही हूं। लेकिन, पुलिस ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उस महिला का बाल पकड़ कर सड़कों पर घसीटने का काम किया गया। उस महिला के भूखे बच्चे चिल्लाते रहे।

श्रीमन्, यह एक गंभीर घटना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित करे। वहां जिस घर को ढहाया गया, वह घर पासी बिरादरी की एक महिला गायत्री देवी का है। मैं मांग करता हूं कि उस महिला को मुआवजा दिया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

श्रीमन्, हमारे ही क्षेत्र में एक गांव पाराखानी है। 28 वर्षीय राम भवन पासी जब अपने फूफा की लड़की की शादी के लिए जा रहा था, तब उसे जहर देकर मार दिया गया। आज तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रीमन्, हम मांग करते हैं कि दोषी को गिरफ्तार किया जाए और 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। ? (व्यवधान)